जे. प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

न्यायाधीश बी. एस. यादव के समक्ष

जे. प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड,-याचिकाकर्ता।

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अन्य-उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं 3041 सन् 1984

26 सितंबर, 1985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-धारा 115 और आदेश 40 नियम 1-किसी लंबित वाद में रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन-देनदार द्वारा भुगतान में चूक करने की स्थिति में लेनदार को रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति देने वाला काल्पनिक विलेख -रिसीवर--क्या नियुक्ति केवल इसलिए की जा सकती है क्योंकि विलेख में एक खंड है-प्राप्तकर्ता की नियुक्ति-ऐसी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत-कहा गया-विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करते हुए विचारण न्यायालय-आदेश निचली अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार रखा गया-विवेकाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित अदालतों द्वारा किया गया—क्या धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। अभिनिर्धारित किया गया कि लेनदार को रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यदि वह रिसीवर की नियुक्ति के लिए न्यायालय की शरण चाहता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 40 नियम 1 के उपबंधों पर ध्यान दिया जाएगा। उस प्रावधान में कहा गया है कि रिसीवर को तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक लगे। इसलिए, लेनदार इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि एक रिसीवर को नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि परिकल्पना विलेख में उस प्रभाव का एक खंड है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि निचली अदालत ने ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया है, तो यह समझा जाएगा कि अदालत ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग भौतिक अनियमितता के साथ किया है और इसलिए, यह उच्च न्यायालय का बाध्य कर्तव्य बन जाता है कि वह आक्षेपित आदेश द्वारा किसी पक्ष को किए गए अन्याय, यदि कोई हो, को पूर्ववत करे। जहां निम्न न्यायालयों ने भौतिक अनियमितता के साथ उनमें निहित अधिकारिता का प्रयोग किया है और एक रिसीवर नियुक्त किया है और यदि आदेश को खड़े होने की अनुमति दी जाती है तो किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि वह अपनी संपत्ति पर अपने कब्जे से वंचित हो जाएगा, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप करेगा।

(Para 11)

अभिनिर्धारित किया गया कि प्राप्तकर्ता की नियुक्ति में समता अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालयों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

जे. प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. मुकदमा लंबित रहने तक रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करने वाला मामला है। विवेकाधिकार मनमाना या निरपेक्ष नहीं हैः यह मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की अनुमति देने और विवाद और विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया ठोस और न्यायिक विवेकाधिकार है और इस तथ्य पर आधारित है कि न्यायिक कार्यवाही के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने का कोई अन्य पर्याप्त उपाय या साधन नहीं है।

2 न्यायालय को एक रिसीवर की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए सिवाय वादी के सबूत के कि प्रथम दृष्टया उसके पास वाद में सफल होने की बहुत उत्कृष्ट संभावना है।

3 वादी को न केवल संपत्ति पर प्रतिकूल और परस्पर विरोधी दावों का मामला दिखाना चाहिए, बल्कि उसे तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ आपातकालीन या खतरे या नुकसान का मामला दिखाना चाहिए और अपने अधिकार के लिए उसे उचित रूप से स्पष्ट और संदेह से मुक्त होना चाहिए। खतरे का तत्व एक आसन्न तत्व है। विचार करें। एक अदालत केवल संभावित खतरे पर कार्रवाई नहीं करेगी; तत्काल राहत की मांग करने वाला खतरा बहुत बड़ा और आसन्न होना चाहिए। यह सही मायने में कहा गया है कि एक न्यायालय कभी भी केवल इस आधार पर एक रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा कि वह कोई नुकसान नहीं करेगा।

4. एक रिसीवर को नियुक्त करने का आदेश वहां नहीं दिया जाएगा जहां एक प्रतिवादी को 'वास्तविक' कब्जे से वंचित करने का प्रभाव है क्योंकि यह अपूरणीय गलती का कारण बन सकता है। यदि विवाद केवल स्वामित्व के बारे में है, तो न्यायालय बहुत अनिच्छा से प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जे को बाधित करता है, लेकिन यदि संपत्ति खतरे और नुकसान के संपर्क में है और कब्जे वाले व्यक्ति ने इसे धोखाधड़ी या बल के माध्यम से प्राप्त किया है, तो अदालत प्राप्तकर्ता द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। यह अलग होगा जहां संपत्ति को 'माध्यम में' दिखाया गया है, अर्थात, किसी के भी आनंद में नहीं, क्योंकि अदालत कब्जा लेने में शायद ही गलत कर सकती है; और (5) अदालत, एक रिसीवर के आवेदन पर, आवेदन करने वाले पक्ष के आचरण को देखती है और आमतौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगी जब तक कि उसका आचरण दोष से मुक्त न हो। उसे अदालत में साफ हाथों के साथ आना चाहिए था और उसे लाठियों, देरी, सहमति आदि द्वारा न्यायसंगत राहत के लिए खुद को वंचित नहीं करना चाहिए था।

(Para 10)

एस. एन. इंडस्ट्रीज और एक अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदि।
A.I.R. 1978 इलाहाबाद 189.

से असहमति जताई।
धारा 115 C.P.C के तहत याचिका। श्री राज कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद, दिनांक 20 अक्टूबर, 1984 के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें श्री पी. एल. गोयल, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद, दिनांक 5 दिसंबर, 1983 की पुष्टि की गई है, जिसमें कुछ शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।

जे. प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

वी. के. बाली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।
आनंद स्वरूप, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आई. एस. राय के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

आदेश

न्यायाधीश एस. यादव

(1) इस पुनरीक्षण याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (संक्षेप में बैंक) ने रुपये की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। वर्तमान याचिकाकर्ता, मेसर्स प्रेस्टोलाइट ऑफ इंडिया लिमिटेड, (संक्षेप में कंपनी) और उत्तरदाता सं. 2,27,58,343.70, के खिलाफ वसूली तक 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की सहमत दर पर भविष्य के ब्याज के साथ। 2 और 3, जिन्हें प्रतिवादी नं। 1 से 3 क्रमशः, गिरवी, गिरवी और कल्पित संपत्ति की बिक्री द्वारा और अन्य संपत्तियों की बिक्री द्वारा और उत्तरदाताओं के व्यक्तियों से कमी की वसूली के लिए, यदि कोई हो। 2 और 3, कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक।
संक्षेप में बैंक का मामला यह है कि कंपनी ने अगस्त या सितंबर, 1963 में अपने साथ एक चालू खाता खोला और शिकायत में वर्णित अग्रिम, ऋण और सीमा की विभिन्न सुविधाओं के अनुदान के लिए अनुरोध किया। सामान्य दस्तावेजों के निष्पादन पर बैंक द्वारा उन्हें मंजूरी दी गई थी। कुछ ऋण बैंक और प्रत्यर्थी नं. 4, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसे वाद में प्रतिवादी नं. 4. बैंक के अनुसार, उपरोक्त राशि कंपनी से विभिन्न खातों में देय थी। उस राशि में मुकदमा दायर करने की तारीख तक का ब्याज शामिल है।

(2) वाद के साथ, बैंक ने आदेश 38, आदेश 39, नियम 1 और 2,6 से 7, आदेश 26 नियम 9,10 और 12 और आदेश 40 नियम 1 के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया। आवेदन में यह आरोप लगाया गया था कि सभी संविदात्मक दायित्वों और स्पष्ट आश्वासनों के बावजूद, कंपनी और उत्तरदाता नं। 2 और 3 ने जानबूझकर और जानबूझकर समय-समय पर और अनधिकृत रूप से प्रतिज्ञा और परिकल्पना की शर्तों का उल्लंघन किया था। गुप्त रूप से और अवैध रूप से हटाए गए गिरवी और काल्पनिक मशीनरी और सामान को बैंक को सूचित किए बिना बेचा/या स्थानांतरित किया गया और ऐसा करने में विफल रहा। बिक्री से प्राप्त आय को संबंधित खातों में जमा करें। वास्तव में, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, बैंक के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे धोखा देने के लिए और प्रतिवादी नं। 4 उनकी मूल्यवान प्रतिभूतियों और देय राशि का पुनर्भुगतान। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में अन्य अनियमितताएं भी कीं। यह भी कहा गया कि दुर्भावनापूर्ण इरादे और गलत उद्देश्य से कंपनी ने श्री एस. एस. साहनी, प्रबंध निदेशक (प्रतिवादी नं. 2) ए. एस. साहनी, निदेशक (प्रतिवादी नं. 3) और श्रीमती जे. के. साहनी, श्री एस. एस. साहनी की पत्नी, मूर्त और अचल संपत्ति के पुस्तक ऋणों के विरुद्ध। कंपनी, प्रतिवादी नं। 2 और 3 ने अवैध रूप से हाइपोथेकेशन और ट्रस्ट रसीद के तहत प्रतिभूतियों को हटा दिया और प्रक्रिया में हाइपोथेकेटेड सामान, तैयार माल, स्टोर और स्टॉक-इन-ट्रेड आदि की प्रत्यक्ष बिक्री में भी लिप्त थे। हाइपोथेकेटेड संयंत्र और मशीनरी और कच्चे माल, प्रक्रिया में सामान, तैयार माल, स्टोर और स्टॉक-इन-ट्रेड आदि दोनों का स्टॉक। खातों से भारी मात्रा में निकासी की गई और इससे पता चला कि वे बैंक की

अन्य प्रतिभूतियों को निगलने के अलावा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पर्याप्त धन की हेराफेरी कर रहे थे। कुछ अन्य अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया था। इसलिए प्रार्थना की गईः

प्रतिवादियों को रोकने वाली सं. 1 से 3 बातचीत से, बेचना -

(ए) निर्णय से पहले और निषेधाज्ञा के माध्यम से, निपटान, हस्तांतरण, अलगाव और किसी भी तरह से, माइल स्टोन नं। 16/4 मुख्य मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) प्रतिवादी नं। 1 और वादी बैंक के पक्ष में गिरवी रखा गया और आरोपित किया गया और प्रतिवादी नं। 4 बैंक।

(ख) निर्णय से पूर्व संलग्नक और प्रतिवादी सं. 2 और 3 प्रतिवादी सं. 2 में अपने शेयरों के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने, निपटाने, स्थानांतरित करने या अन्यथा व्यवहार करने से। 1 कंपनी, कार, एयर कंडीशनर, फर्निचर फिटिंग और फिक्स्चर प्रतिवादी नं। 1 कंपनी डब्ल्यू-85, ग्रेटर कैलाश, आई, नई दिल्ली या कहीं और।

(ग) निर्णय से पहले संलग्नक और प्रतिवादियों को प्रतिबंधित करना सं. 1 से 3 गिरवी रखे गए माल और हाइपोथेकेटेड संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और कच्चे माल सहित सामान, प्रक्रिया में सामान, अर्ध-तैयार माल, तैयार माल, व्यापार में स्टॉक आदि को हटाने, स्थानांतरित करने या निपटाने के निपटान से निषेधाज्ञा द्वारा, जिसमें विभिन्न स्टेशनों पर या पारगमन में या कहीं और रेलवे/ट्रांसपोर्टर गोदाम में भेजे गए और पड़े माल और/या माल, उपकरण और मशीनरी को प्रतिवादी नं। 1 से 3 जिनमें से प्रतिवादी नं। 2 और 3 या उनके रिश्तेदार और करीबी दोस्त भागीदार या मालिक हैं, अर्थात् ट्रॉपिकल कमर्शियल कंपनी प्राइवेट, लिमिटेड, मेसर्स। इंस्पी ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स. ऑटो मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स. फरीदाबाद इंजीनियरिंग, ओटिनो प्राइवेट लिमिटेड, स्टर्लिंग मोटर्स और ऑटो मोटर्स।

(घ) निर्णय से पूर्व संलग्नक और प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रतिवादी सं. के देनदारों से वादी बैंक के पक्ष में कल्पित पुस्तक ऋण प्राप्त करने या प्राप्त करने से। 1 कंपनी।

(ङ) प्रतिवादियों को निर्देश देना सं. आदेश 38 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत 1 से 3 वाद में वादी के दावे के भुगतान के लिए इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, i.e., रु। न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर वाद में विनिर्दिष्ट लागतों और भावी हितों के साथ 2,27,58,243 और न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, वादी बैंक के पक्ष में कल्पित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण तथा कच्चा माल, प्रक्रियाधीन माल, अर्ध-तैयार माल, व्यापार में स्टॉक, पारगमन में भेजे गए पुस्तक ऋण और माल, विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे/ट्रांसपोर्टरों के गोदामों में पड़े माल आदि सहित माल की बिक्री का आदेश देना। और वाद में वादी के दावे के समायोजन/प्राप्ति के लिए वादी बैंक के साथ उसकी बिक्री आय को जमा करना।

(च) एक स्थानीय आयुक्त/रिसीवर को गिरवी रखे गए और साथ ही साथ काल्पनिक संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और कच्चे माल सहित सामान, प्रक्रिया में सामान, अर्ध-तैयार सामान, तैयार सामान, व्यापार में स्टॉक, आदि की एक सूची बनाने के

निर्देशों के साथ नियुक्त करना, जिसमें रेलवे/ट्रांसफोर्टर्स गोदामों में या पारगमन में या विभिन्न स्टेशनों में कहीं और भेजे गए और पड़े सामान और/या माल, उपकरण और मशीनरी शामिल हैं। 1 से 3 का यहां उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रतिवादी नं। 2 और 3 या उनके रिश्तेदार और करीबी दोस्त प्रतिवादी नं। 1 कंपनी और लेखा बहियों, प्रतिभूति रजिस्ट्रों, स्टॉक रजिस्ट्रों, कच्चे माल रजिस्ट्रों, तैयार माल रजिस्ट्रों, प्रेषण माल अभिलेखों, अंतरित माल और मशीनरी के अभिलेखों का निरीक्षण करना और जो हस्ताक्षर करने के बाद उसे अपने अभिरक्षा/कब्जे में ले और इस विद्वत न्यायालय के निर्देशों और पर्यवेक्षण के तहत सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा उसी की बिक्री का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और संचालन करना और उसकी बिक्री आय को वादी बैंक और/या न्यायालय में जमा करना।

(छ) डब्ल्यू-65, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली और/या प्रतिवादी नं. 1 से 3 तक और उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचना और उसकी बिक्री आय को वादी बैंक और/या वाद में अपने दावे के लिए अदालत में जमा करना।

(3) कंपनी के परिसर से माल के विनाश, अपव्यय, अपव्यय या हटाने के बारे में विभिन्न आरोपों पर प्रतिवादी No.o1 से 3 द्वारा आवेदन 3 का विरोध किया गया था। यह भी दलील दी गई कि आवेदक द्वारा दावा की गई विभिन्न राहतों को देने का कोई आधार नहीं है।

(4) मुकदमा जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के न्यायालय के सिविल कोर्ट के दौरान प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 19 जून, 1981 के आदेश के माध्यम से, उन्होंने प्रतिवादी नं. 1 से 3 प्रतिवादियों के शेयरों के कब्जे को बेचने, हटाने, उनसे निपटने या अन्यथा निपटाने या अलग करने से। कंपनी में 2 और 3 और गिरवी भूमि, प्रतिवादी नं। 1, 16/4, मुख्य मथुरा रोड, फरीदाबाद में स्थित है और गिरवी रखे गए सामान, हाइपोथेकेटेड प्लांट, मशीनरी, उपकरण, कच्चे माल, अर्ध-तैयार माल, तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और बुक ऋण की वसूली सहित सामान, विभिन्न स्टेशनों आदि पर रेलवे/ट्रांसपोर्टरों के गोदामों में भेजे गए और पड़े सामान, या पारगमन में। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त आदेश, जहां तक यह कच्चे माल, अर्ध-तैयार या तैयार माल से संबंधित है, जिसमें पारगमन में माल भी शामिल है, इस हद तक सीमित था कि इसे कंपनी के सामान्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को छोड़कर और एक प्रामाणिक तरीके से बेचा, हटाया, निपटाया या अन्यथा निपटाया या कब्जा नहीं किया जाएगा। 25 जून, 1981 के आदेश में उक्त न्यायालय ने एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया और निम्नलिखित निर्देश दिएः -

(1) उसे काल्पनिक और गिरवी रखी गई वस्तुओं/मशीनरी की सूची, वादी द्वारा शिकायत के साथ दायर ट्रस्ट रसीदें बनाना चाहिए और जहां तक संभव हो प्रत्येक वस्तु को भौतिक रूप से सत्यापित करना चाहिए, ताकि सत्यापित किया जा सके।

(2) उसे कंपनी की सभी अचल और अस्थायी परिसंपत्तियों की एक सूची भी तैयार करनी चाहिए, जिसमें बही-ऋण भी शामिल हैं।

(3) उसे सभी लेखा पुस्तकों, गोदाम रजिस्टरों, गिरवी रख दी गई वस्तुओं के रजिस्टर, काल्पनिक मशीनरी और वस्तुओं के रजिस्टर, पुस्तक ऋण, अचल संपत्ति, रजिस्टर, न्यास खाता रजिस्टर और अन्य सभी प्रासंगिक अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने

चाहिए। कंपनी की परिसंपत्तियों में कारखाना परिसर, उनके गोदाम, निदेशकों के आवास और प्रतिभू सहित सभी परिसंपत्तियां शामिल होंगी।

(5) बाद में वाद को अधीनस्थ न्यायाधीश, फरीदाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कंपनी में स्थापित भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन करने के लिए स्थानीय आयुक्तों को नियुक्त किया।
इस आवेदन का अंत में अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा 5 दिसंबर, 1983 को निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैंक के पास प्रथम दृष्टया एक अच्छा मामला था और मामले की परिस्थितियों में, एक रिसीवर नियुक्त करना उचित और सुविधाजनक था। तदनुसार उन्होंने निम्नलिखित निर्देशों के साथ एक रिसीवर नियुक्त कियाः
(1) वह प्रतिवादी नं. 1 की पूरी अचल और अस्थायी संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करेगा। 1 कंपनी;
(2) वह प्रतिवादी कंपनी की संपूर्ण अचल और अस्थायी परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगा;
(3) वह प्रतिवादी कंपनी की संपूर्ण अचल और अस्थायी परिसंपत्तियों का प्रभार लेगा;
(4) वह आग, दंगे, नागरिक हंगामा, हड़ताल, चोरी आदि के जोखिमों के खिलाफ कारखाने परिसर में या कहीं और पड़ी सभी स्थायी और अस्थायी परिसंपत्तियों, भवन, गिरवी रखे गए सामान, काल्पनिक संयंत्र, मशीनरी, समान सामान, कच्चे माल, अर्धनिर्मित और तैयार माल को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण करेगा। (5) वह स्थानीय आयुक्त द्वारा पहले से प्राप्त अवैतनिक बिलों के संबंध में लौटाए गए माल का प्रभार लेगा और वादी बैंक से प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपमानित/अवैतनिक छूट के संबंध में ट्रांसपोर्टरों के पास पड़े शेष माल की पुनः बुकिंग और खुली डिलीवरी की व्यवस्था करेगा। फिर वह सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके इन वस्तुओं का निपटान करेगा और अदालत में इसकी बिक्री की कार्यवाही जमा करेगा।

उन्होंने 19 जून, 1981 को जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा की भी पुष्टि की। वादी द्वारा दायर आवेदन में की गई बाकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया था।

(6) व्यथित महसूस करते हुए, कंपनी ने अपील दायर की, जिसकी सुनवाई फरीदाबाद के विद्वान जिला न्यायाधीश ने की। बैंक ने उसे नहीं दी गई राहत के संबंध में प्रति-आपत्ति भी दायर की थी। उन्होंने अपील और प्रति-आपत्ति में कोई योग्यता नहीं पाई और दोनों को खारिज कर दिया। फिर भी संतुष्ट महसूस नहीं करते हुए, कंपनी ने यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(7) रिसीवर की नियुक्ति करते समय न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों को लेने से पहले, मैं बैंक के विद्वान वकील श्री आनंद सरूप द्वारा प्रस्तुत एक तर्क को ले सकता हूं।
उन्होंने तर्क दिया कि हाइपोथेकेशन डीड का खंड 15, जिसे शिकायत के पृष्ठ 19 और 20 पर पुनः प्रस्तुत किया गया है, बैंक को एक रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति दी गई है यदि कंपनी बकाया शेष राशि की एक किस्त या (मांग पर) के भुगतान में चूक करती है या यदि कोई आशंका थी कि कंपनी अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी परिस्थितियों में, एक रिसीवर नियुक्त करना एक उपयुक्त मामला था, क्योंकि कंपनी ने शेष राशि के भुगतान में चूक की है और बैंक को आशंका है कि कंपनी अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। इस संबंध में उन्होंने एस. बी. उद्योग और एक अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदि, (1) जिसमें यह टिप्पणी की गई थीः "तत्काल मामले में, यह पाया

जाएगा कि प्रतिवादियों और वादी के बीच समझौते के तहत, प्रतिवादियों ने स्वयं वादी को एक रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया था, यदि उनके द्वारा किए गए अग्रिमों का भुगतान करने में चूक की गई थी। वादी ने वाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादियों ने बार-बार मांग करने के बावजूद इसके लिए देय राशि का भुगतान नहीं किया। तदनुसार, प्रतिवादियों ने अग्रिम भुगतान करने में चूक की। वादी को प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करने का अधिकार हो गया है।

उस मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ, मैं उस प्रस्ताव से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हूं। बैंक को रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यदि वह रिसीवर की नियुक्ति के लिए न्यायालय की सहायता मांगता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 40 नियम 1 के प्रावधानों पर ध्यान देना होगा।- उस प्रावधान में कहा गया है कि रिसीवर को तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधाजनक लगे। वास्तव में, उसी मामले में, विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह टिप्पणी की गई थीः "एक अदालत बहुत सावधानी और सावधानी के साथ एक रिसीवर की नियुक्ति करेगी। एक मामले में जहां एक रिसीवर की नियुक्ति का उपाय मूल्य, विनाश, अपव्यय, अपव्यय या अधिकार क्षेत्र से हटाने में नुकसान या कमी के आसन्न खतरे के खिलाफ संपत्ति को रोकने, धोखाधड़ी, रक्षा और संरक्षित करने के लिए आवश्यक लगता है, अदालत एक रिसीवर नियुक्त कर सकती है। यह आगे कहा जा सकता है। इस संबंध में कि किसी प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने या अस्वीकार करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय को मामले की सभी परिस्थितियों और तथ्यों, राहत को उचित ठहराने वाली शर्तों और आधारों की उपस्थिति, न्याय के उद्देश्यों, विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के अधिकारों और अन्य उपायों की पर्याप्तता को ध्यान में रखना चाहिए।
इसलिए, बैंक इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि एक रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेकेशन डीड में इस आशय का एक खंड है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील के इस तर्क को पूरा करने के लिए कि जब कोई निषेधाज्ञा जारी की गई है, तो प्रतिवादी को संपत्ति को हटाने या निपटाने से रोकने के लिए, एक रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, बैंक के विद्वत वकील ने एस. बी. इंडस्ट्रीज के मामले (ऊपर) पर भरोसा रखा है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थीः "प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील, हालांकि, ने तर्क दिया कि चूंकि निचली अदालत ने पहले ही प्रतिवादियों को संपत्तियों के निपटान से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी कर दी थी, इसलिए, नीचे की अदालत के लिए रिसीवर की नियुक्ति का आदेश देने का कोई अवसर नहीं था। ऐसा कोई कानून नहीं है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का मुद्दा वादी के प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने के अधिकारों को प्रभावित करता है। निषेधाज्ञा जारी होने के बाद भी एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है यदि स्थिति की अनिवार्यताओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है और न्यायालय को लगता है कि उस संबंध में आदेश देना उचित और सुविधाजनक होगा। तदनुसार हम प्रतिवादियों के विद्वान वकील के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि केवल इसलिए कि एक निषेधाज्ञा पहले जारी की गई थी, नीचे की अदालत को रिसीवर की नियुक्ति का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वादी के हलफनामे में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि प्रतिवादी निषेधाज्ञा के बावजूद संपत्तियों को हटाने और निपटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले में यह सुझाव देने की कोई परिस्थिति नहीं है कि कंपनी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद संपत्ति को हटाने या निपटाने का प्रयास कर रही थी या किसी भी तरह से इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है।

(9) बैंक के विद्वत वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में श्री वेंकटरमण मंदिर शिक्षा बोर्ड बनाम सी. मंजुमत कामत और अन्य (2) पर भी भरोसा किया कि वाद संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, जिसके संबंध में वाद के पक्षकारों में से एक के पक्ष में निषेधाज्ञा है। उस मामले में, वादी जिन्होंने खुद को शिक्षा बोर्ड के विधिवत और औपचारिक रूप से गठित सदस्य होने का दावा किया और बोर्ड के तीन स्कूलों का प्रबंधन और संचालन करने के हकदार थे, उन्होंने प्रतिवादियों को स्कूलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की। जबकि प्रतिवादियों के खिलाफ एक निषेधाज्ञा आदेश इस प्रकार काम कर रहा था, उन्होंने एक रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया, शिकायत की कि सूट संपत्ति का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने जांच के बाद एक रिसीवर नियुक्त किया। उस आदेश के खिलाफ वादी की अपील को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया। उस मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और इसलिए, उन पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। वर्तमान मामले में, बैंक प्रार्थना कर रहा है कि रिसीवर को कंपनी की संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए नियुक्त किया जाए, न कि कंपनी चलाने के लिए।
(10) यह विवादित नहीं है कि प्राप्तकर्ता की नियुक्ति को सबसे कठोर उपायों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है जो कानून अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान करता है। न्यायाधीश रामास्वामी ने टी. कृष्णास्वामी चेट्टी बनाम सी. थंगावेल्यू चेट्टी और अन्य (3) में स्पष्ट रूप से कहा है और जिन्हें इस न्यायालय ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य बनाम एम/एस में दोहराया है। सहगल पेपर लिमिटेड, और अन्य (4). अधिकारियों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने सिद्धांतों को निम्नानुसार बतायाः

"प्राप्तकर्ताओं की नियुक्ति में इक्विटी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले हमारे न्यायालयों के 'पंच सदाचर' के रूप में वर्णित किए जा सकने वाले पाँच सिद्धांत इस प्रकार हैंः
(1) किसी वाद के लंबित रहने पर रिसीवर की नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर आधारित मामला है। विवेकाधिकार मनमाना या निरपेक्ष नहीं हैः यह एक ठोस और न्यायिक विवेकाधिकार है, जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों की अनुमति देने और विवाद और उप-मामले में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है और इस तथ्य पर आधारित है कि न्यायिक कार्यवाही के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने का कोई अन्य पर्याप्त उपाय या साधन नहीं है;

(2) न्यायालय को एक रिसीवर नियुक्त नहीं करना चाहिए सिवाय वादी के सबूत के कि प्रथम दृष्टया उसके पास मुकदमे में सफल होने की बहुत उत्कृष्ट संभावना है;

(3) वादी को न केवल संपत्ति के प्रतिकूल और परस्पर विरोधी दावों का मामला दिखाना चाहिए, बल्कि उसे तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ आपातकालीन या खतरे या नुकसान का मामला दिखाना चाहिए और अपने अधिकार के

लिए उसे उचित रूप से स्पष्ट और संदेह से मुक्त होना चाहिए। खतरे का तत्व एक महत्वपूर्ण विचार है। एक न्यायालय केवल संभावित खतरे पर कार्रवाई नहीं करेगा; तत्काल राहत की मांग करने वाला खतरा बहुत बड़ा और आसन्न होना चाहिए। यह सही मायने में कहा गया है कि एक न्यायालय कभी भी केवल इस आधार पर एक रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा कि वह कोई नुकसान नहीं करेगा।

(4) एक रिसीवर की नियुक्ति का आदेश वहां नहीं किया जाएगा जहां यह एक प्रतिवादी को 'वास्तविक' कब्जे से वंचित करने का प्रभाव रखता है क्योंकि यह अपूरणीय गलती का कारण बन सकता है। यदि विवाद केवल स्वामित्व के बारे में है, तो न्यायालय बहुत अनिच्छा से प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जे को बाधित करता है, लेकिन यदि संपत्ति खतरे और नुकसान के संपर्क में है और कब्जे वाले व्यक्ति ने इसे धोखाधड़ी या बल के माध्यम से प्राप्त किया है, तो अदालत प्राप्तकर्ता द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। यह अलग होगा जहां संपत्ति को 'मध्य में' दिखाया गया है, अर्थात, किसी के भी आनंद में नहीं, क्योंकि न्यायालय कब्जा लेने में शायद ही गलत कर सकता है;

(5) न्यायालय, एक रिसीवर के आवेदन पर, आवेदन करने वाले पक्षकार के आचरण को देखता है और आमतौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा जब तक कि उसका आचरण दोष से मुक्त न हो। उसे अदालत में साफ हाथों से आना चाहिए था और उसे खुद को अयोग्य नहीं ठहराना चाहिए था इसलिए, यह देखने का प्रश्न है कि क्या उपरोक्त पाँच सिद्धांतों के आलोक में, वर्तमान मामले में एक रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था या नहीं।

(11) इस स्तर पर, मैं प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को उठा सकता हूं। उन्होंने तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और यह कि विद्वत निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया गया था और इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेश इस न्यायालय द्वारा इस पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि इस न्यायालय की शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 द्वारा सीमित हैं। उक्त खंड के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

"115(1) उच्च न्यायालय ऐसे किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसमें कोई अपील निहित नहीं है और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रतीत होता है-

(क)

(ख)

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है, तो उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। बशर्ते कि उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों के संयोजन में किए गए किसी आदेश या किसी मुद्दे को तय करने वाले किसी आदेश में परिवर्तन या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि -

(ए)

(बी) आदेश, यदि खड़ा होने की अनुमति दी जाती है, तो न्याय की विफलता या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी जिसके खिलाफ यह किया गया था। ... "...

यह एक निश्चित सिद्धांत है कि यदि निचले न्यायालय ने ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया है, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग भौतिक अनियमितता के साथ किया है और इसलिए, यह इस न्यायालय का बाध्य कर्तव्य बन जाता है कि वह आक्षेपित आदेश द्वारा किसी भी पक्ष को हुए अन्याय, यदि कोई हो, को पूर्ववत करे। वर्तमान मामले में, जैसा कि नीचे चर्चा की जाएगी, नीचे दिए गए न्यायालयों ने भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और यदि इस आदेश को लागू करने की अनुमति दी जाती है तो कंपनी को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि वह अपनी संपत्ति पर अपने कब्जे से वंचित हो जाएगी।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने तर्क दिया कि नीचे दिए गए विद्वत न्यायालयों ने इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि यदि कंपनी अपनी परिसंपत्तियों का अपने सहयोगी प्रतिष्ठानों को गबन कर रही थी या किसी भी तरह से अपनी परिसंपत्तियों का क्षरण कर रही थी और इस न्यायालय को पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेते समय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, तो मामले को अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अपीलीय अदालत को वापस भेज दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने राम सिंह बनाम तुलसी और अन्य में R. S. नरूला, C.J. द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है। (5). बेशक, यह उचित तरीका होता अगर मामले को बहस की शुरुआत में ही रिमांड पर ले लिया जाता। हालांकि, निचली अदालत के रिकॉर्ड को बुलाया गया है और उसके आधार पर लंबी दलीलें दी गई हैं। यदि मामले को इस स्तर पर वापस भेज दिया जाता है, तो इससे दोनों पक्षों को अनावश्यक कठिनाई होगी। इसलिए, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का इरादा रखता हूं।

(13) वर्तमान वाद जुलाई, 1981 में रुपये की वसूली के लिए दायर किया गया था। 2,27,58,343.70 पैसे। यह राशि विभिन्न खातों में कंपनी से बैंक को देय बताई गई थी। याचिकाकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि गिरवी रखे गए सामान बैंक के पास थे, इसलिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। रिलायंस को ललन प्रसाद बनाम रहमत ऑल और अन्य पर रखा गया था (6). उस फैसले का शीर्षक भ्रामक है। उस मामले में, गिरवीदार ने एक मुकदमा दायर किया था और शिकायत में स्वीकार किया था कि कुछ चल संपत्ति की गिरवी रखने के समझौते के निष्पादन के बारे में, जिसे ऋण के लिए निष्पादित किया गया था, लेकिन आरोप लगाया था कि गिरवी रखा माल उसे नहीं दिया गया था।
प्रतिवादी ने आपत्ति जताई कि वादी डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है जब तक कि वह अपने साथ गिरवी रखे गए सामान को फिर से देने के लिए तैयार और इच्छुक न हो। निचली अदालत ने प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि गिरवी रखने का कोई पूरा अनुबंध नहीं था क्योंकि वह गिरवी रखे जाने के लिए मांगे गए सामान को देने में विफल रहा था।प्रतिवादी की अपील पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष से असहमति जताई।

वादी और यह कि वह अपने इस रुख के मद्देनजर किसी भी राहत का हकदार नहीं था कि माल कभी भी उसके साथ गिरवी नहीं रखा गया था और इसलिए, उसके कब्जे में नहीं था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने वादी के मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। विभिन्न निर्णयों पर विचार करने और अनुबंध

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद उनके लॉर्डशिप्स ने टिप्पणी कीः "इसलिए, गिरवीदार गिरवी रखे गए सामान को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखते हुए ऋण पर मुकदमा कर सकता है। यदि ऋण का भुगतान किया जाता है तो उसे न्यायालय की सहायता के साथ या उसके बिना माल वापस करना होगा और बिक्री की आय को ऋण के लिए उपयुक्त बनाना होगा। लेकिन यदि वह गिरवी रखने से इनकार करने वाले ऋण पर मुकदमा करता है, और यह पाया जाता है कि उसे गिरवी रखे गए माल का कब्जा दिया गया था और उसी को बरकरार रखा था, तो गिरवीदार को ऋण के भुगतान द्वारा गिरवी रखे गए माल को भुनाने का अधिकार है। यदि गिरवी माल को पुनः वितरित करने की स्थिति में नहीं है तो वह ऋण और माल दोनों का भुगतान नहीं कर सकता है। जहां गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य ऋण से कम है और गिरवीदार द्वारा ऋण की वसूली के लिए एक वाद में, गिरवीदार गिरवी रखने से इनकार करता है या अन्यथा गिरवी रखी गई वस्तुओं को वापस करने की स्थिति में नहीं है, उसे माल के मूल्य के लिए क्रेडिट देना होगा और तब केवल शेष राशि की वसूली का हकदार होगा। यह स्थिति होने के कारण अपीलार्थी उक्त वचन पत्र के विरुद्ध डिक्री का हकदार नहीं होगा और उक्त माल को भी अपनी अभिरक्षा में रखेगा जो उसे सुपुर्द किया गया था।

वर्तमान मामले में, बैंक ने कहीं भी माल की गिरवी रखने से इनकार नहीं किया है, और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस तरह गिरवी रखे गए माल को उसके कब्जे में नहीं दिया गया था। इसलिए, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और मुकदमा बनाए रखने योग्य है।

(14) याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने अगला तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने कंपनी की परिसंपत्तियों के लिए रिसीवर की नियुक्ति के लिए बैंक के आवेदन को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के तुलनपत्र में भी, कंपनी ने रु। बैंक की ओर से 1,43,48,000 और उस राशि में 1 जनवरी, 1979 से ब्याज शामिल नहीं था और यदि ब्याज की गणना उस राशि पर बैंक दर पर की गई थी, तो बैंक द्वारा दावा की गई राशि कंपनी से देय होनी चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या कंपनी अपने किसी सहयोगी को अपने धन की हेराफेरी कर रही है, जैसा कि बैंक द्वारा विचाराधीन आवेदन में आरोप लगाया गया है और न्यायालय ने रिसीवर को नियुक्त किया है, क्योंकि मुकदमे में दावा की गई राशि देय प्रतीत होती है और कंपनी के कुप्रबंधन और वाणिज्यिक खोखलेपन का कार्य था और इस प्रकार कंपनी की संपत्ति के दुरुपयोग, लुप्त होने या नष्ट होने का खतरा था। यह तर्क दिया गया था कि इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि कंपनी का कुप्रबंधन, यदि कोई हो, प्रतिभूतियों के क्षरण की दिशा में निर्देशित किया गया था, और न ही यह दिखाया गया है कि कैसे काल्पनिक और गिरवी रखी गई संपत्ति/वस्तुओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि यह नहीं माना गया है कि कंपनी की परिसंपत्तियों को तत्काल खतरा था या स्थिति ऐसी थी कि यदि उन्हें संरक्षित नहीं किया गया था, तो बैंक राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं हो सकता है। पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, मेरी राय है कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

(15) विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने टिप्पणी कीः "एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है जहां संपत्ति, संपत्ति, आय के लिए एक उचित आशंका है। एक रिसीवर को नियुक्त किया जा सकता है जहाँ संपत्ति के दुरुपयोग, घायल होने और नष्ट होने का खतरा हो।

आम तौर पर किसी व्यक्ति को इस विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी संपत्ति पर उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि इस मामले में न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा यदि कुछ प्राप्तकर्ता को सीमित भूमिका और शक्तियों के साथ नियुक्त किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में दांव इतने अधिक हैं कि वादी-बैंक के हित की रक्षा के लिए संपत्ति को संरक्षित करना और उसे अक्षुण्ण रखना वांछनीय है। यह और भी अधिक है, जब प्रतिवादी कंपनी व्यावहारिक रूप से इस अर्थ में मध्यस्थता में है कि यह बंद पड़ी है और एक तालाबंदी पहले ही घोषित की जा चुकी है। यह और भी अधिक है, जब प्रतिवादी कंपनी प्रथम दृष्टया वादी बैंक के दावे सहित अपनी विभिन्न देनदारियों और दायित्वों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं प्रतीत होती है। प्रतिवादी कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता पर मेरे द्वारा इस आदेश के पिछले पैराग्राफ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।
उपर्युक्त टिप्पणियां करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने एक प्राप्तकर्ता नियुक्त किया और कुछ शक्तियों और कर्तव्यों को प्रदान किया जिन्हें पहले ही नोटिस किया जा चुका है।

मुख्य कारक जो प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट के साथ वजन किया गया था कि कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ थी, जैसे बिक्री-कर का भुगतान, E.S.I., योगदान, आदि। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या कंपनी की परिसंपत्तियां बैंक के सुरक्षित ऋणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। यदि कंपनी को कुछ देनदारियों को पूरा करना है जो सुरक्षित नहीं हैं, तो बैंक के हित प्रभावित नहीं होंगे।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि बैंक के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है, क्योंकि यह कंपनी के कामकाज में अनावश्यक बाधाएं पैदा कर रहा था। उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया और उनके अनुसार, कंपनी को हुए नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी था। दूसरी ओर, बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वह कंपनी को खातों के संचालन में एक के बाद एक समायोजन दे रहा था और जब उसने विभिन्न समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में लगातार चूक की और खाते अनियमित हो गए तो बैंक ने आगे समायोजन बंद कर दिया और मार्जिन राशि का प्रतिशत भी बढ़ा दिया। इस स्तर पर, हम पक्षों के संबंधित विवाद में नहीं जा सकते हैं। यदि बैंक की किसी कार्रवाई के कारण कंपनी को कोई नुकसान हुआ है, तो उस बिंदु को मुकदमे में निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में, हम केवल इस बात से चिंतित हैं कि क्या बैंक के पास कंपनी से देय राशि की वसूली के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला है और क्या रिसीवर नियुक्त करना उचित और सुविधाजनक है।

(17) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बैंक द्वारा प्रस्तुत खातों का उल्लेख किया है और कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया है। यदि दावा की गई पूरी राशि देय नहीं है, तो उससे थोड़ी कम देय होनी चाहिए। शिकायत के पैराग्राफ 95 में, यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी के अधिकारियों/अधिकृत प्रतिनिधियों/प्रबंध निदेशक ने 20 दिसंबर, 1979 को विभिन्न खातों के संबंध में डेबिट बैलेंस पुष्टिकरण पर हस्ताक्षर किए। विभिन्न खातों में शेष राशि के साथ-साथ ब्याज भी उस पैराग्राफ में दिया गया है। कंपनी ने अपने लिखित बयान में निश्चित रूप से उस पैराग्राफ की शुद्धता से इनकार किया है। हालाँकि, वे पुष्टिकरण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं और मुक़दमे की फ़ाइल के पृष्ठ 3341 से 3373 पर हैं। कंपनी के विद्वान वकील ने उन पुष्टिकरण पत्रों और उन खातों वाले पत्रों के बीच कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया जिन्हें पुष्टिकरण के लिए भेजा गया था और जिन्हें इस याचिका के साथ पी-10 से पी-18 के रूप में संलग्न किया गया है।

विसंगतियों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पुष्टिकरण पत्रों पर कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उन्होंने खातों की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद ऐसा किया होगा। उन पुष्टिकरण पत्रों के माध्यम से, कुल राशि जो देय मानी गई थी, वह रु। 200 लाख।

(18) 20 दिसंबर, 1980 का एक और पत्र है। यह पक्षों के बीच एक तरह का समझौता प्रतीत होता है। इस पत्र से पता चलता है कि कंपनी रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। विभिन्न खातों के तहत सभी देनदारियों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 1,40,00,000/-। बेशक, उस समझौते को पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि कंपनी के अनुसार, बैंक ने उसी के तहत उस पर लगाई गई कुछ शर्तों को पूरा करने में चूक की। हालांकि, हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि समझौते को प्रभावी क्यों नहीं बनाया जा सका। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कम से कम कंपनी रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। 1,40,00,000/- बैंक के दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कंपनी यह सुनिश्चित किए बिना उस राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है कि कम से कम वह राशि वास्तव में बैंक को देय थी या नहीं।

(19) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बैंक ने देय राशि का दावा करते समय ब्याज की गणना की है, जबकि वास्तव में, 1977 के बाद बैंक द्वारा विभिन्न खातों में कोई ब्याज नहीं लिया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन बैंक ने देय राशियों पर 26 दिसम्बर, 1977 से प्रभावी ब्याज की गणना नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी और उस ब्याज की गणना अलग से की जानी थी ताकि भविष्य में कंपनी के अधिशेष की उत्पत्ति से इसकी वसूली की जा सके। जब कंपनी ने अपने खातों का भुगतान नहीं किया और बैंक को मुकदमा दायर करना पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न राशियों पर ब्याज की गणना की जानी थी।

(20) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बैंक के पास अपने कब्जे या नियंत्रण में लगभग रु। 72,00,000/- और लगभग रु। 26,00,000/-। जहाँ तक गिरवी रखे गए माल का संबंध है, यह पहले ही ऊपर देखा जा चुका है कि एक गिरवी रखे गए माल को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में रखते हुए ऋण पर मुकदमा कर सकता है। इसलिए, बैंक को देय राशि निर्धारित करने के लिए, कंपनी इस स्तर पर इस बात पर जोर नहीं दे सकती है कि वादी के दावों को कम करने के लिए गिरवी रखी गई वस्तुओं की राशि या गैर-सेवानिवृत्त बिलों के माल के मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
(21) एक विवाद है। मार्जिन मनी के बारे में पक्षों के बीच वादी के अनुसार, यह लगभग रु 52,00,000/-, जबकि, कंपनी के अनुसार, यह कुछ कम है। यह खातों का मामला है। यहां तक कि अगर तर्क के लिए यह माना जाता है कि कंपनी का मार्जिन मनी बैंक के पास है और बैंक ने पूरी राशि के लिए पूर्ण समायोजन नहीं किया है, तो बैंक का दावा लगभग रु 2,00,000/- या थोड़ा कम। यह कहना एक बात है कि वादी का कोई दावा नहीं है और दूसरा यह है कि दावा थोड़ी कम राशि के लिए हो सकता है। मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि 20 दिसंबर 1980 के समझौते के अनुसार भी, कंपनी ने 20 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। 1,40,00,000/- वह राशि केवल समझौते को प्रभावित करने के लिए तय की गई थी। यह पूरी देय राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह मुकदमा जुलाई, 1981 में दायर किया गया था। ब्याज 20 दिसंबर, 1980 के बाद उपार्जित होना चाहिए। इसलिए, यह माना जाता है कि वादी के पास प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला है।

(22) अब अगला प्रश्न यह देखा जाना चाहिए कि क्या मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय के हित में, बैंक के अधिकारों की रक्षा के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना था। निचली अदालत ने बैंक की पसंद के मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया था। इस पुनरीक्षण याचिका के साथ संयंत्र और मशीनरी की मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की गई है। इसमें सभी लेख और उनका मूल्य शामिल है। संयंत्र और मशीनरी का कुल मूल्यांकन रु 2,99,33,850/-। कंपनी की भूमि और भवनों की संपत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति पी-5 के रूप में संलग्न की गई है। उस मूल्यांकन का आकलन रु 1,18,00,000/-। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि बैंक ने मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कंपनी की प्रार्थना का विरोध किया था। ट्रायल कोर्ट ने कंपनी की परिसंपत्तियों के निर्धारण के लिए उस मूल्य को केवल इसलिए ध्यान में नहीं रखा है क्योंकि इसकी लेखा पुस्तकें यह नहीं दर्शाती हैं कि संपत्ति और मशीनरी उस राशि के लायक है। उक्त मूल्यांकन को नजरअंदाज करने का यह कोई आधार नहीं है। संपत्ति और मशीनरी मौजूद हैं। जैसा कि मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट से स्पष्ट है, मशीनरी काम करने की स्थिति में है।

(23) उपरोक्त परिसंपत्तियों के अलावा, जैसा कि पहले देखा गया है, बैंक के पास रु। इसके साथ 72,00,000/- और लगभग रु 26,00,000/- गैर-सेवानिवृत्त बिलों से संबंधित। मार्जिन मनी को लेकर भी विवाद है। जैसा कि पहले देखा गया है, कंपनी के अनुसार, मार्जिन मनी रुपये से अधिक है। 52,00,000/-। बैंक के अनुसार, वह राशि कम है।
हालांकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि निचली अदालत के आदेश के बावजूद, वादी ने अभी तक मार्जिन मनी का खाता दाखिल नहीं किया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की परिसंपत्तियां उस डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो बैंक के पक्ष में पारित की जा सकती है।

(24) बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि खुली नीलामी में संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि अदालत की नीलामी में संपत्तियों को बाजार की तुलना में कम मूल्य पर बेचा जाता है। इसलिए, केवल इसलिए कि बैंक को आशंका है कि संपत्ति को मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्राप्त मूल्य पर बेचा जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की परिसंपत्तियां बैंक के पक्ष में डिक्री पारित होने की स्थिति में बैंक के दावे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि प्राप्तकर्ता की नियुक्ति नहीं की जाती है तो बैंक का हित खतरे में पड़ जाएगा।

(25) कंपनी की परिसंपत्तियों को भी कोई आसन्न खतरा नहीं है। कंपनी के खिलाफ एक व्यापक निषेधाज्ञा आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, जो इसे किसी भी तरह से काल्पनिक मशीनरी आदि को अलग करने या निपटाने से रोकता है। इस बार तक, बैंक द्वारा कुछ मौतों के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि कंपनी द्वारा काल्पनिक संपत्ति या गिरवी रखे गए सामान के किसी भी हिस्से को गुप्त रूप से हटा दिया गया है या निपटाया गया है। डैस के संबंध में, कंपनी का मामला यह है कि उसके श्रमिकों द्वारा हड़ताल के दौरान वह कुछ वस्तुओं का निर्माण करना चाहती थी और इसलिए, डैस को उचित दस्तावेज तैयार करने के बाद दूसरे संस्थान को भेज दिया गया था और उन्हें वापस प्राप्त कर लिया गया है। श्री ए. पी. बुधिराजा, अधिवक्ता को निचली अदालत द्वारा सभी मशीनरी, संयंत्र, गिरवी रखे गए सामान आदि की सूची तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, और उन्होंने एक तैयार किया है। इस प्रकार, कंपनी की संपत्ति की जांच किसी भी समय यह

पता लगाने के लिए की जा सकती है कि क्या कंपनी द्वारा निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का निपटान किया गया है।

(26) बैंक ने यह नहीं दिखाया है कि यदि रिसीवर की नियुक्ति जैसी तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो कंपनी की प्रतिभूतियों को कैसे खतरा है। जैसा कि पहले देखा गया है, उन सिद्धांतों की गणना करते समय जिन्हें प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, परिसंपत्तियों के लिए खतरे का तत्व एक महत्वपूर्ण विचार है। यह समझ में नहीं आता है कि रिसीवर की नियुक्ति से बैंक को कैसे मदद मिल सकती है। कंपनी की चल और अचल दोनों संपत्तियों के बारे में इन्वेंट्री पहले ही तैयार की जा चुकी है, जिसमें स्थानीय आयुक्त और मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं। अन्य गिरवी रखे गए माल बैंक की अभिरक्षा और नियंत्रण में हैं। सेवामुक्त बिलों से संबंधित कुछ सामान ट्रांसपोर्टरों के पास पड़ा हुआ था। 31 मार्च, 1982 के आदेश के अनुसार, एक स्थानीय आयुक्त को पक्षों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन वस्तुओं की खुली डिलीवरी लेने के लिए नियुक्त किया गया था और उनसे इसकी एक विस्तृत सूची तैयार करने और उसके बाद उन्हें बैंक के गोदामों में संग्रहीत करने की भी आवश्यकता थी। तर्क के समय, यह कंपनी के लिए विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया था कि उक्त स्थानीय आयुक्त ने व्यावहारिक रूप से अपना काम पूरा कर लिया है और माल को वादी-बैंक के साथ ठीक से संग्रहीत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, मैं यह समझने में विफल रहता हूं कि रिसीवर कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। यह तय सिद्धांत है कि एक रिसीवर को केवल इस आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है कि यह पक्षों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(27) रिसीवर की नियुक्ति के लिए जिन मुख्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे हैं परिसंपत्तियों का संरक्षण। कंपनी के विद्वान वकील ने बताया कि पहले से ही एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहरेदार हैं। बैंक के विद्वान पार्षद ने तर्क दिया कि कंपनी द्वारा नियुक्त चौकीदारों के बावजूद, कंपनी के परिसर में चोरी हुई थी। इस याचिका के लंबित रहने तक प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति भी दाखिल की गई है। चोरी ऐसी चीज है जिसे बैंक या कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भले ही रिसीवर वहां हो, चोर द्वारा चोरी की जा सकती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिन पहरेदारों को नियुक्त करने के लिए रिसीवर को अधिकृत किया गया है, वे कंपनी द्वारा नियुक्त लोगों की तुलना में अधिक सावधान होंगे। इसलिए, यह समझ में नहीं आता है कि प्राप्तकर्ता मालिक की तुलना में किसी बेहतर तरीके से माल की रक्षा कैसे कर पाएगा। मैं विश्वास नहीं करने जा रहा हूं कि सिर्फ बैंक के अधिकारों को हराने के लिए, कंपनी चोरी या नष्ट होने से रुपये के करोड़ मूल्य की अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करेगा।

(28) बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जून, 1979 और जून, 1980 को समाप्त होने वाली कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियां कंपनी के नुकसान से समाप्त हो गई हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तथ्य को यह कहते हुए समझाया कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियों का पहले मूल्यांकन के बाद पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया था और इसलिए, परिसंपत्तियों का बुक वैल्यू कम था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, अचल संपत्ति और कंपनी की मशीनरी का मूल्य बढ़ गया है, जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट से स्पष्ट है। केवल तुलनपत्रों में शामिल लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, बैंक के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि कंपनी दिवालिया हो गई है। कंपनी को अभी भी लगभग 4 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है। 72,00,000/- बैंक के साथ गिरवी रखा गया और रु।

26,00,000/- गैर-सेवानिवृत्त बिल जो बैंक के कब्जे में हैं। कंपनी के अनुसार, मार्जिन मनी रु। 52,00,000/- बैंक से देय है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि बैंक ने मार्जिन मनी के संबंध में कंपनी को लगभग 24 लाख रुपये का ऋण दिया है क्योंकि बैंक का तर्क है कि मार्जिन मनी उस राशि पर आती है।

(29) कल्पित विलेखों के सहमत नियमों और शर्तों के घोर उल्लंघन के कथित जानबूझकर किए गए कार्य, कथित अनियमितताएं और विश्वासघात, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने बैंक के ऋणों और प्रतिभूतियों को खतरे में डाल दिया है, को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5, आदेश 40 नियम 1 के तहत दायर वादी के आवेदन के पैराग्राफ 13 में गिना गया है।

उन सभी आरोपों का कंपनी द्वारा विधिवत जवाब दिया गया है। मुझे उन आरोपों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वादी के आरोप विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। कुछ सहयोगी चिंताएँ हैं जिनसे कंपनी का एक या दूसरा निदेशक या उसका संबंध जुड़ा हुआ है।

मुख्य आरोपों में से एक यह है कि उन कंपनियों को भेजे गए माल से संबंधित बिल सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, जबकि कंपनी ने उन कंपनियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज सौंपते समय बैंक से अग्रिम राशि ली थी और इस प्रकार कंपनी की संपत्तियों की हेराफेरी की जा रही थी। 'यदि कंपनी ने कोई अग्रिम लिया है, तो यह समझ में नहीं आता है कि कैसे कंपनी की संपत्तियों को उन चिंताओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, उन कंपनियों के साथ लेन-देन बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा तक था। वे चिंताएं वादी-बैंक के साथ अपने खातों के होने के लिए स्थित हैं। यदि कंपनी का कोई पैसा उन सहयोगी संस्थाओं को दिया जा रहा था या उन्हें कोई अनधिकृत भुगतान किया गया था, तो कंपनी के लेखा परीक्षकों ने इसका पता लगाया होगा।

इसलिए, उन कंपनियों के साथ कंपनी का लेन-देन धोखाधड़ी वाला प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा सभी गैर-सेवानिवृत्त बिल उन चिंताओं से संबंधित नहीं हैं, बल्कि कुछ अन्य से भी संबंधित हैं।

(30) कंपनी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बैंक ऋणों को कम करने में बाधा डाल रहा था। मेरा मानना है कि उक्त तर्क में बल है। 1982 में, रुपये के लिए एक डिक्री। मेसर्स के मुकाबले बैंक के पक्ष में 4,21,103.68 पैसे पारित किए गए। स्वस्तिका मोटर्स और एक और।

वह 'दूसरा व्यक्ति' निश्चित रूप से कंपनी थी। वह मुकदमा जिसमें डिक्री पारित की गई थी, इन आरोपों पर दायर किया गया था कि बैंक ने मेसर्स पर हुंडियों की खरीद द्वारा बिलों की छूट पर कंपनी को वाणिज्यिक ऋण प्रदान किया है। स्वास्तिका मोटर्स, इसके डीलरों में से एक और यह कि बैंक ने मेसर्स को डिलीवरी के लिए इच्छित दस्तावेज़ वितरित किए थे। स्वास्तिका मोटर्स ने हुंड़ियों और ड्राइवी की स्वीकृति पर हुंड़ियों को विधिवत स्वीकार कर लिया और दस्तावेज वितरित कर दिए गए, लेकिन ड्राइवी हुंड़ियों को सम्मानित करने में विफल रहे। उस फैसले को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्वस्तिका मोटर्स और एक अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है (7). बेशक, मुकदमा दराज़ और दराज़ दोनों के खिलाफ था, लेकिन वास्तव में, राशि मेसर्स से देय थी। स्वास्तिका मोटर्स। मेसर्स के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही करने के बजाय। स्वास्तिका मोटर्स, बैंक ने उस राशि को कंपनी के खाते में डेबिट किया। प्रमुख देनदार के खिलाफ डिक्री को लागू करने से बैंक को कुछ भी नुकसान नहीं होना था। डिक्री के तहत वसूली तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी दिया गया था। यदि बैंक कंपनी की देनदारियों को कम करना चाहता था, तो उसे कंपनी के खाते में उसे डेबिट करने के बजाय डिक्री के निष्पादन के

लिए आवेदन करना चाहिए था, जो वास्तव में एक बीमार इकाई है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि इस पुनरीक्षण याचिका के लंबित होने के दौरान, बैंक ने अब प्रधान-देनदार के खिलाफ उस डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया है।

(31) जैसा कि पहले देखा गया है, लगभग रु। 72,00,000/- बैंक के साथ गिरवी रखे गए हैं। वे प्रतिज्ञाएँ विभिन्न भागों में बनाई गई थीं। जैसा कि तर्कों से प्रकट होता है, कंपनी भुगतान के बाद गिरवी रखे गए कुछ सामानों की डिलीवरी लेना चाहती है। हालांकि, बैंक का तर्क है कि पहली गिरवी को भुनाया जाना चाहिए और कंपनी की पसंद पर विभिन्न लॉट को भुनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कंपनी के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया कि बैंक द्वारा लगाई गई ऐसी शर्त पूरी तरह से अनुचित है। कंपनी ऑटोमोबाइल विद्युत घटकों का निर्माण करती है और एक घटक का निर्माण करते समय विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है जो इसके निर्माण में जाती हैं। ऑर्डर मिलने पर विभिन्न प्रकार के घटकों का निर्माण किया जाएगा। इसलिए, एक प्रकार के घटक के निर्माण के समय, कंपनी केवल उन्हीं वस्तुओं को भुनाएगी जो इसके निर्माण में आवश्यक हैं। कंपनी का उद्देश्य पहले और इसी तरह पहली प्रतिज्ञा को भुनाने से पूरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार बैंक स्वयं कंपनी को कुछ हद तक ऋण कम करने की अनुमति नहीं देने के लिए जिम्मेदार है।

(32) अब मैं लगभग एक लाख रुपये मूल्य के गैर-सेवानिवृत्त माल का मामला उठाता हूं। 26,00,000/-। बैंक के विद्वान वकील का तर्क था कि कंपनी द्वारा विभिन्न कंपनियों को भेजा गया माल, जिसकी डिलीवरी माल प्राप्तकर्ताओं द्वारा नहीं की गई है, अपूर्णीय प्रकृति या निम्न-मानक गुणवत्ता का होना चाहिए। इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए देखा जाता है। व्यावसायिक लेन-देन में, कई बार माल प्राप्तकर्ता उन्हें प्रस्तुत किए गए बिलों को सेवानिवृत्त नहीं करते हैं। जब तक माल की डिलीवरी नहीं ली जाती है, तब तक माल प्राप्तकर्ता से यह जानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि माल घटिया गुणवत्ता का है या नहीं। कंपनी के विद्वान वकील ने 14 जुलाई, 1979 (पृष्ठ 4085 पर) के एक पत्र की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा कुछ मांग मसौदे मेसर्स को माल की पुनः बुकिंग के लिए बैंक को भेजे गए थे। ऑक्सफोर्ड मोटर्स। डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने के बावजूद, बैंक ने न तो ग्राहकों को सामान की फिर से बुकिंग की और न ही कंपनी को संबंधित दस्तावेज वापस किए। दिनांक 19 दिसंबर, 1979 (पृष्ठ 4419 पर) का पत्र एक फर्म द्वारा लिखा गया था और कंपनी द्वारा निकाले गए बिलों के भुगतान के विषय पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फरीदाबाद शाखा को संबोधित किया गया था। फर्म ने बैंक को डिमांड ड्राफ्ट भेजे थे, लेकिन आवश्यक दस्तावेजों की आपूर्ति पर & #39; के बारे में शिकायत कर रही थी। 31 जनवरी, 1981 (पृष्ठ 4147 पर) का पत्र रूबल मोटर्स द्वारा कंपनी को लिखा गया था जिसमें बैंक को विभिन्न बिलों के संबंध में दस्तावेजों को फाड़कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर दस्तावेजों का सम्मान करने का भी बीड़ा उठाया। कंपनी द्वारा दिनांक 24 मई, 1981 (पृष्ठ 414 पर) बैंक को पत्र लिखा गया था जिसमें मेसर्स को बिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया था। रूबल मोटर्स। मैंने कुछ पत्रों को ध्यान में रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक बिलों की राशि पर माल प्राप्तकर्ताओं से योग्यता का दावा कर रहा था। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने बिना ब्याज के बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को लिखा था। दिनांक 22 अगस्त, 1980 (पृष्ठ 4493 पर) के पत्र के माध्यम से बैंक ने कंपनी को लिखा कि वह कंपनी के सहयोगी-चिंताओं द्वारा निकाले गए बिलों के संबंध में ब्याज के बिना बिलों की राशि का भुगतान स्वीकार नहीं करने जा रहा है। अन्य पात्रों के संबंध में, पत्र में आगे यह उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए, बैंक ऐसा कर सकता है, बशर्ते लिखित वचनबद्धता दी गई हो कि

कंपनी ने भविष्य में ब्याज का भुगतान कैसे करने का प्रस्ताव किया है। प्रथम दृष्टया बैंक की मांग अनुचित प्रतीत होती है। बिलों की राशि के विरुद्ध कंपनी को कुछ अग्रिम दिए गए थे और उन राशियों पर ब्याज लिया जा रहा था।
बैंक को माल लेने वालों से बिलों की राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया था।

(33) मैंने कुछ दस्तावेजों को बैंक को संदर्भित किया है जो स्वयं कंपनी को बैंक को देय राशि के हिस्से को समाप्त करने में मदद नहीं कर रहा था। 30 दिसंबर, 1980 को (पृष्ठ 6679 पर) क्षेत्रीय प्रबंधक ने बैंक की फरीदाबाद शाखा को कंपनी को आगे अग्रिम नहीं देने के लिए लिखा। उन्होंने आगे कंपनी को जंगम प्रतिभूतियों को सौंपने का निर्देश दिया और जो किसी विशेष प्रतिभूति के खिलाफ अग्रिम राशि के बराबर राशि की वसूली के बाद केवल नकद में उचित अग्रिम धन मूल्य की प्राप्ति के खिलाफ गिरवी या शुल्क लिया गया था, यानी i.e.। इस प्रकार, यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि क्या बैंक कंपनी या माल प्राप्तकर्ताओं से ब्याज या अवमूल्यन वसूल सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय के उन निर्देशों के अनुसार, फरीदाबाद शाखा को चल प्रतिभूतियों या अग्रिम राशि के भुगतान के बदले बिलों को जारी करना चाहिए था।

(34) उनके वादी-बैंक के O 26, नियम 9,10 और 12, आदि के तहत एक आवेदन के जवाब में, गैर-सेवानिवृत्त लौटाए गए बिलों के माल की खुली डिलीवरी लेने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, कंपनी ने इस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव दिया कि बैंक ध्वनि मूल्य की सीमा तक मालवाहकों को बिलों का प्रतिनिधित्व करेगा और यह स्वयं विभिन्न पक्षों को सौंपने के लिए निर्देशित माल के अवमूल्यन का भुगतान करेगा। प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 29, नियम 9,10 और 12, आदि के तहत वादी के आवेदन से संबंधित कार्यवाही में एक विविध आवेदन दायर किया था और उस जवाब को याचिका के पृष्ठ 6 के रूप में संलग्न किया गया है। कंपनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव दिएः "प्रतिवादी/प्रतिवादी ने उक्त आवेदन के जवाब और प्रतिवाद के बावजूद प्रस्तुत किया कि यदि विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त बिलों को पक्षों द्वारा उनके चालान मूल्य पर केवल ब्याज, डिम्यूराज, फ्रेट, रीबुकिंग शुल्क जैसे किसी अतिरिक्त सवारियों के बिना स्वीकार किया जाएगा, जिसका वादी बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से दावा किया जा रहा है, जो अन्यथा भी, वादी बैंक ने अपने आवेदन के पैरा 23 में भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।

कि ऊपर की गई प्रस्तुतियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रतिवादी वैकल्पिक रूप से सुझाव देता है कि वर्तमान आवेदन से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और देनदारियों पर निर्णय लेने के अंतिम अधिकार और योग्यता के आधार पर आवेदन के अंतिम निर्णय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह मानते हुए कि वादी ने प्रतिवादी के साथ बिल में छूट की व्यवस्था की थी, फिर वादी बैंक बिलों के खिलाफ केवल 65 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान कर रहा था, जबकि द्वि) j.s के अंकित मूल्य पर और इस प्रकार माल के चालान मूल्य पर 35 प्रतिशत का मार्जिन वादी बैंक द्वारा बनाए रखा गया था और प्रतिवादी के मार्जिन मनी खाते में जमा किया गया था, कि प्रतिवादी, उनके एजेंट, वितरक, डीलर माल के चालान मूल्य पर भी उक्त अवैतनिक/सेवानिवृत्त बिलों को सेवानिवृत्त करने की पेशकश करते हैं, बशर्ते वादी-बैंक बिना किसी सवार ब्याज आदि के माल और माल ढुलाई शुल्क का भुगतान करता है।
इस स्थिति में, डिमरेज, माल ढुलाई आदि के भुगतान के दायित्व के प्रश्न को वाद के निर्णय के समय तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जा सकता है।

जबकि अपील निचली अपीलीय अदालत में लंबित थी, कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री शनि ने एक हलफनामा दायर किया जो इस संशोधन के साथ पी-29 के रूप में संलग्न है। उसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव दिया: "कि प्रतिवादी शपथ पर कहता है कि अपीलकर्ता कंपनी वादी बैंक को समझौते के रूप में भुगतान करने की स्थिति में तभी हो सकती है जब वादी बैंक अपीलकर्ता कंपनी को भारत में किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ बातचीत करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देता है। यदि वादी-बैंक अपीलार्थी कंपनी को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देने के लिए सहमत होता है तो पूरे विवाद को 2-3 महीने की अवधि के भीतर हल किया जा सकता है।

उसी दिन उन्होंने एक और हलफनामा दायर किया जिसकी प्रति पी-30 के रूप में संलग्न है, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव दिया गया है: "कि प्रतिवादी शपथ पर कहता है कि अपीलार्थी कंपनी बैंक के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए तैयार है और वादी के ऋणों को समाप्त करने की स्थिति में है। निम्नलिखित तरीके से बैंक:
कि प्रतिनिधि शुरू में एक महीने की अवधि के भीतर नकद में न्यूनतम रु। 5 लाख और जिसके लिए वादी। बैंक गिरवी रखे गए/बही मूल्य (बैंक द्वारा रखे गए कम मार्जिन) की अपीलार्थी की आवश्यकता के अनुसार तैयार माल या कच्चा माल जारी करेगा। कि प्रतिनिधि न्यूनतम रुपये के भुगतान के संचलन को बनाए रखेगा। स्टॉक और तैयार माल की रिहाई के खिलाफ प्रति माह 5 लाख। *
कि इस प्रकार यदि कोई अवसर दिया जाता है तो अपीलार्थी-इकाई के कामकाज को फिर से शुरू किया जा सकता है और वादी को देय ऋण। लगभग 14 महीनों की अवधि में बैंक के भी परिसमापन होने की संभावना है।

उपरोक्त प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि कंपनी ईमानदारी से विवाद को निपटाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में, जब मामला इस न्यायालय में लंबित था, पक्षकारों के प्रतिनिधियों के बीच उनके वकील की मदद से भी समझौते की कुछ शर्तें तय की गई थीं। इन शर्तों को मंजूरी के लिए बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य कार्यालय ने कंपनी द्वारा प्रस्तावित समझौते की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह पहले ही देखा जा चुका है कि 1980 में भी पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। मैंने इन तथ्यों को केवल यह दिखाने के लिए सुनाया है कि कंपनी का इरादा देरी की रणनीति का सहारा लेकर बैंक के दावे को विफल करने का प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अपने कारखाने को फिर से चालू करने और बैंक के ऋणों को समाप्त करने के लिए सही इच्छुक है।

(35) इस पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान कंपनी ने एक आवेदन दायर किया, सिविल विविध सं. 1985 का 606-सी. आई. आई., यह कहते हुए कि यह अभी भी रुपये का भुगतान करके आनुपातिक रूप से माल जारी करने के लिए तैयार था। उत्पादन और बिक्री की आवश्यकता के अनुसार अपने छोटे लॉट में माल की निकासी के लिए हर 2 महीने में 5 लाख। यह आगे कहा गया कि मुकदमा दायर करने से पहले, वादी-बैंक ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि वह अग्रिम राशि के भुगतान पर गिरवी रखे गए सामान को वापस कर देगा।याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया कि बैंक को आवेदन में अनुरोध के अनुसार कंपनी को सामान निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसा निर्देश बैंक को जारी किया जा सकता है। मान सिंह और एक अन्य बनाम शिव नारायण सिद्धेश्वर मंडी सनातन धर्म सभा, गुड़गांव आदि में दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा गया था। (8) जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए थे। उस मामले के तथ्य तत्काल

मामले से पूरी तरह से अलग हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, बैंक पूरी तरह से गिरवी रखे गए माल को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में तब तक बनाए रखेगा जब तक कि मुकदमे में पारित की जा सकने वाली डिग्री, यदि कोई हो, की संतुष्टि न हो जाए। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की प्रार्थना का कोई बल नहीं है और उक्त आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

(36) मामले की परिस्थितियों और पक्षों के आचरण पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें एक रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए था। तदनुसार, मैं पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करता हूं और आक्षेपित आदेशों को खारिज कर देता हूं, जहां तक वे प्राप्तकर्ता की नियुक्ति से संबंधित हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(37) पक्षकारों को 25 अक्टूबर, 1985 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए। उस न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले का यथासंभव निपटान करे क्योंकि यह पहले से ही काफी पुराना हो चुका है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा